प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ ::दिनांक: 06.11.2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-311/कार्य०पू०दि०/टी०एण्ड०पी०/2026-27, दिनांक 30.10.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक में अनुदान सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) लेखाशीर्षक **4700**-मुख्य सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में रू० **2400.00** लाख के सापेक्ष मांगी गयी धनराशि रू० **2094.00** लाख व लेखाशीर्षक **4701**-मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0एण्ड पी0 मद में रू० **2400.00** लाख के सापेक्ष मांगी गयी धनराशि रू० **1435.85** लाख, **कुल धनराशि रू० 3529.85 लाख (रुपये पैंतीस करोड़ उनतीस लाख पचासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 व 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र०सं०	संगठन का नाम	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
4700-80-052-0703-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (नवीन सम्पूर्ति) बजट व्यवस्था रू० 650.00 लाख		
1	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	30.00
2	मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ	275.00
3	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	10.00
4	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक (नहर निर्माण) झांसी	20.00
5	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	130.00
6	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) झांसी	25.00
7	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	13.00
8	मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला	20.00
9	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	5.00
10	मुख्य अभियन्ता (बाण सागर) प्रयागराज	33.00
11	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	15.00
12	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	70.00
	कुल योग (4700-03-12)	**646.00**
4700-80-052-0703-26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (नवीन सम्पूर्ति) बजट व्यवस्था रू० 650.00		

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख		
13	मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ	275.00
14	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	75.00
15	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	30.00
16	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	43.00
17	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	70.00
18	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	5.00
19	मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-1) अयोध्या	25.00
20	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	20.00
21	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	45.00
22	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	10.00
	कुल योग (4700-03-26)	**598.00**
4700-80-052-0704-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (मरम्मत) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
23	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	2.00
24	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	34.00
25	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	20.00
26	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	10.00
27	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	25.00
28	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	5.00
29	मुख्य अभियन्ता (सरयू परि-1) अयोध्या	5.00
30	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	13.00
31	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	70.00
	कुल योग (4700-04-12)	**184.00**
4700-80-052-0704-26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र (मरम्मत) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
32	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	80.00
33	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	35.00
34	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	12.00
35	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	5.00
36	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	5.00
37	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	60.00
38	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	8.00
39	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	70.00
	कुल योग (4700-04-26)	275.00
4700-80-052-0705-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (गाडी भाड़ा) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
40	मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ	12.00
41	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	3.00
42	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	15.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

43	मुख्य अभियन्ता (स०परि०-प्रथम) अयोध्या	47.00
44	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	33.00
45	मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-2, गोण्डा	30.00
46	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	10.00
47	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	8.00
48	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	10.00
49	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	30.00
	कुल योग (4700-05-12)	**198.00**
4700-80-052-0705-26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र (गाडीभाड़ा) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
50	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	15.00
51	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	20.00
52	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	32.00
53	मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-2, गोण्डा	30.00
54	मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-1) अयोध्या	60.00
55	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	5.00
56	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	20.00
57	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	11.00
	कुल योग (4700-05-26)	**193.00**
	कुल योग 4700	**2094.00**
4701-80-052-03-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (नवीन सम्पूर्ति) बजट व्यवस्था रू० 650.00 लाख		
58	मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ	125.00
59	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	20.00
60	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	25.00
61	मुख्य अभियन्ता (केन बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी	10.00
62	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	45.00
63	मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-1) अयोध्या	60.00
64	मुख्य अभियन्ता (बाण सागर) प्रयागराज	13.00
65	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री) लखनऊ	5.00
66	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	10.00
67	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ	15.00
68	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	50.00
	कुल योग (4701-03-12)	**378.00**
4701-80-052-03-26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र (नवीन सम्पूर्ति) बजट व्यवस्था 650.00 लाख		
69	मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ	125.00
70	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	55.00
71	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	90.00

http://shasanadesh.up.gov.in

72	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) कानपुर	15.00
73	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	30.00
74	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	35.00
75	मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) लखनऊ	2.00
76	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ	25.00
	कुल योग (4701-03-26)	**377.00**
4701-80-052-04-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (मरम्मत) बजट व्यवस्था 275.00 लाख		
77	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	17.50
78	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	60.00
79	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	28.00
80	मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) लखनऊ	2.19
81	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	8.00
82	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ	30.00
83	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	2.00
84	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	20.00
	कुल योग (4701-04-12)	**167.69**
4701-80-052-04-26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र (मरम्मत) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
85	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	15.00
86	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	70.00
87	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	50.00
88	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	50.00
89	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ	20.00
90	मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-1) अयोध्या	54.00
	कुल योग (4701-04-26)	**259.00**
4701-80-052-05-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण (गाड़ी भाड़ा) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
91	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	5.00
92	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	25.00
93	मुख्य अभियन्ता सरयू परियोजना-2, गोण्डा	25.00
94	मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-1) अयोध्या	10.00
95	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) अयोध्या	10.00
96	मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) लखनऊ	2.16
97	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	8.00
98	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ	15.00
	कुल योग (4701-05-12)	**100.16**
4701-80-052-05-26 मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र (गाड़ी भाड़ा) बजट व्यवस्था रू० 275.00 लाख		
99	मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ	4.00
100	मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी) वाराणसी	5.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

101	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	60.00
102	मुख्य अभियन्ता सरयू परियोजना-2, गोण्डा	30.00
103	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	30.00
104	मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम) मेरठ	25.00
	कुल योग (4701-05-26)	**154.00**
	योग (4701)	**1435.85**
	कुल योग (4700+4701)	**3529.85**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी०एण्ड०पी० मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं, शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी०एम०-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/ अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4700800520703 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,46,00,000 (रुपये छह करोड़ छियालीस लाख मात्र)
2	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	5,98,00,000 (रुपये पाँच करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)
	कुल			12,44,00,000 (रुपये बारह करोड़ चौवालीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 4700800520704 (मरम्मत)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520704 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,84,00,000 (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख मात्र)
2	094	4700800520704 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,75,00,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
	कुल			4,59,00,000 (रुपये चार करोड़ उनसठ लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 4700800520705 (गाड़ी भाड़ा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,98,00,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)
2	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,93,00,000 (रुपये एक करोड़ तिरानबे लाख मात्र)
	कुल			3,91,00,000 (रुपये तीन करोड़ इक्यानबे लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,78,00,000 (रुपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)
2	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,77,00,000 (रुपये तीन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)
	कुल			7,55,00,000 (रुपये सात करोड़ पचपन लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 4701800520400 (मरम्मत)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520400 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,67,69,000 (रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार मात्र)
2	094	4701800520400 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,59,00,000 (रुपये दो करोड़ उनसठ लाख मात्र)
	कुल			4,26,69,000 (रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 4701800520500 (गाडी भाडा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520500 गाडी भाडा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,16,000 (रुपये एक करोड़ सोलह हजार मात्र)
2	094	4701800520500 गाडी भाडा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,54,00,000 (रुपये एक करोड़ चौवन लाख मात्र)
	कुल			2,54,16,000 (रुपये दो करोड़ चौवन लाख सोलह हजार मात्र)

महायोग	35,29,85,000 (रुपये पैंतीस करोड़ उनतीस लाख पचासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-815(1)/2026/2078/26-27-सिं0-4/001-58-W-2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यॉत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी), वाराणसी/ (सूचना प्रणाली संगठन) लखनऊ/ (नलकूप मध्य) लखनऊ/ (रामगंगा) कानपुर/ (परियोजना बेतवा) झांसी/ (बेतवा) झांसी/ (यमुना) ओखला/ (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ/ (बाण सागर) प्रयागराज/ (नलकूप पूर्व) अयोध्या/ (गंगा) मेरठ/ (सरयू परि०-1) अयोध्या/ सरयू परियोजना-2, गोण्डा/ केन-बेतवा लिंक (नहर निर्माण) झांसी/ (नलकूप पश्चिम) मेरठ / (जल संसाधन) लखनऊ //अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक (नहर निर्माण) झांसी/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/गोण्डा/झांसी/कानपुर/गौतमबुद्ध नगर/प्रयागराज, अयोध्या/मेरठ, उ0प्र0।
8. अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10. नियोजन अनुभाग-3
11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।